2009:CGHC:10419

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठः माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायधीश

दांडिक अपील क्र. 858/2004

अपीलार्थीगण : शिवाराम एवं अन्य

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय की घोषणा के लिए दिनांक 18/11/2009 को सूचीबद्ध करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एन.चंद्राकर,

न्यायधीश

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्र. 858/2004

अपीलार्थीगण:

1. शिवाराम, पिता चंदर राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, ड्राइवर, निवासी- ग्राम परसागुड़ी, थाना एवं तहसील रायपुर, जिला सरगुजा (छ.ग)
2. ज्ञानी राम, पिता मंगरु राम, उम्र लगभग 18 वर्ष, कृषि, निवासी- ग्राम कोतगहना, थाना एवं तहसील रायपुर, जिला सरगुजा (छ.ग)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य

दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील

एकल पीठ: माननीय श्री आर.एन.चंद्राकर, न्यायधीश

उपस्थितः	
अपीलार्थी क्र. 1 की ओर से	**श्री सी.जयंत कुमार राव, अधिवक्ता**
अपीलार्थी क्र. 2 की ओर से	**श्री एन.के.मेहता, अधिवक्ता**
राज्य की ओर से	**श्री राकेश झा, उप शासकीय अधिवक्ता**

निर्णय

(दिनांक 19/11/2009 को पारित किया गया)

1. अपीलार्थीगण ने यह अपील विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 80/2002 में दिनांक 14-9-2004 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके तहत अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(जी) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/-

रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड के व्यतिक्रम पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड दिया गया।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में अभियोजन पक्ष का प्रकरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री कलावती अपनी माँ के साथ कोटगहना गाँव में जुगेश्वर चौबे के घर में निवास करती थी। दिनांक 3-9-2002 को वह अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए प्रेस लेने ब्रह्मदेव उर्फ लीलू यादव (अ.सा./8) के घर गई थी। उसी समय, लगभग 2:00 बजे, अपीलार्थी एक अन्य व्यक्ति के साथ मार्शल जीप में आए और उसे देखकर, ब्रह्मदेव उर्फ लीलू यादव (अ.सा./8) के घर के सामने जीप रोक दी। अपीलार्थी/अपीलार्थीगण ने अभियोक्त्री को जबरन जीप में खींच लिया और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीख-पुकार सुनकर जब ब्रह्मदेव उर्फ लीलू यादव (अ.सा./8) अपने घर से बाहर आए, तो अपीलार्थी/अपीलार्थीगण ने जीप चालू किया और अभियोक्त्री को बेहराखंड के जंगल में ले गए, जहाँ अपीलार्थी क्रमांक 1 शिवराम ने उसे जबरन जीप से नीचे उतार दिया और उसके साथ बलात्कार किया। अभियोक्त्री ने शोर मचाया और रोने लगी, जिसे सुनकर बुधन कोरवा, लीलू उर्फ ब्रह्मदेव और उसकी माँ उर्मिला वहाँ आ गईं। घटना के बाद अपीलार्थी उक्त जीप में सवार होकर मौके से भाग गए। उसी दिन, अर्थात् दिनांक 3-9-2002 को सायं 4.30 बजे, अभियोक्त्री ने थाना, राजपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श.पी/4) दर्ज कराई, जहाँ अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और प्रकरण की जाँच की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विचारण के दौरान, अभियोक्त्री और अपीलार्थी क्रमांक 1 शिवराम को क्रमशः प्र.पी/8 और प्र.पी/3 के तहत चिकित्सा परीक्षण के लिए राजपुर और अंबिकापुर के शासकीय अस्पतालों में भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों की जाँच की और प्र.पी/4 और प्र.पी/2 के तहत अपना अभिलेख दिया। विचारण अधिकारी ने प्र.पी/3 के तहत अभियोक्त्री के कपड़े, टूटी चूड़ियाँ, पान-पराग का एक खाली पैकेट आदि घटनास्थल से प्र.पी/10 के तहत, नोहरसाई से आपत्तिजनक वाहन को प्र.पी/1 के तहत जब्त किया और घटनास्थल का नक्शा प्र.पी/11 के तहत तैयार किया। अभियोक्त्री के कपड़े प्र.पी/12 के तहत चिकित्सा परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास भेजे गए।

4. विचारण पश्चात्, सक्षम न्यायालय में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसने प्रकरण को विचारण न्यायालय को सौंप दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

की धारा 3 (2) (5) के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए। अपीलार्थीगण ने दोष स्वीकार कर लिया।

5. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए नौ गवाहों से पूछताछ की। इसके बाद, अपीलार्थी/अपीलार्थीगण के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी बेगुनाही और झूठे आरोप लगाने का दावा किया। अपीलार्थीगण ने अपने बचाव में सुखराम (ब.सा./1) और बुधनराम (ब.सा./2) से पूछताछ की।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की सुनवाई के बाद और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

7. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय का निर्णय न केवल विकृत, बुरा और विधिक के विपरीत है, यद्यपि स्पष्ट रूप से गलत भी है, जिससे न्याय का गंभीर हनन होता है। विचारण न्यायालय प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों का न्यायिक रूप से आकलन और जांच करने में विफल रही। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और सामग्री के अनुसार, अपीलार्थी क्र. 2 के विरुद्ध इस तथाकथित सामूहिक बलात्कार से संबंधित कोई सबूत नहीं है। वास्तव में, यह प्रकरण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकरण में अपीलार्थी क्र. 2 की भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है। इस संबंध में, विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से यह माना है कि अपीलार्थी क्र 2, अभियोक्त्री के साथ अपीलार्थी क्र 1 द्वारा बलात्कार करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा थी। विचारण न्यायालय ने मनमाने ढंग से और आँख मूँदकर अ.सा.-8 लीलू उर्फ ब्रह्मदेव के अपुष्ट बयान पर विश्वास कर लिया है, जिसका आचरण संदिग्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि अभियोक्त्री ने अपने बयान के पैरा 20 में कहा है कि वह ब्रह्मदेव (अ.सा.-8) के घर कभी नहीं गई थी, जिससे यह संदेह स्थापित होता है कि उसने वास्तविक तथ्य को छिपाने की कोशिश की थी, अतः, उसकी गवाही अविश्वसनीय और कुटिल प्रतीत होती है। विद्वान अधिवक्ता ने अंत में कहा कि सभी तथ्यों पर विचार करते हुए, दोषसिद्धि के निर्णय और सजा के आदेश को अपास्त किया जाए और अपीलार्थीगण को आरोप से दोषमुक्त किया जाए। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में प्रदीप कुमार विरुद्ध संघ प्रशासन, चंडीगढ़, 2006 एसटीपीएल (एलई) 37389 एससी का अवलंब लिया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. इसके विपरीत, विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के समर्थन में उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (जी) के तहत सही रूप से दोषसिद्ध किया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा यह पर्याप्त रूप से सिद्ध किया गया था कि दोनों अपीलार्थीगण ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के लिए मिलकर काम किया और सामान्य इरादे के तहत अपीलार्थी क्र. 1 द्वारा बलात्कार किया गया था।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ का तर्क सुना है, विचारण न्यायालय के अभिलेख और आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सराहना करने के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के प्रासंगिक प्रावधान को उद्धृत करना उचित होगा जो इस प्रकार है:

376- बलात्कार के लिए दंड.-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(2) जो कोई,—

(छ) सामूहिक बलात्कार करेगा, उसे सश्रम कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन हो सकेगी।

परन्तु,....

स्पष्टीकरण 1.—जहाँ किसी स्त्री के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा, जो समान अभिप्राय से कार्य कर रहे हों, बलात्कार किया जाता है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को इस उपधारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार का अपराधी माना जाएगा।

11. उपरोक्त प्रावधान के अनुसार और विचारण न्यायालय के अभिलेख को देखने पर, अभियोक्त्री कलावती (अ.सा./5) और ब्रह्मदेव उर्फ लीलू यादव (अ.सा./8) के साक्ष्य, अपराध के कारित करने में अपीलार्थीगण के आचरण और भूमिका के संबंध में प्रकरण के तथ्यात्मक सार का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त हैं।

12. अभियोक्त्री अ.सा./5 कलावती ने अपने बयान में कहा कि घटना की तारीख को जब वह अपने कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन प्रेस लेने ब्रह्मदेव उर्फ लीलू यादव (अ.सा./8) के घर गई थी, तो अपीलार्थी एक अन्य व्यक्ति के साथ मार्शल जीप में वहां आए और उसे जबरन जीप में खींच लिया, जिसे अपीलार्थी क्र. 2 चला रहा था। उसे बेरहाखंड के जंगल में ले जाया गया, जहां अपीलार्थी क्र. 1 ने उसे जीप से खींच लिया और जमीन पर पटक कर उसके साथ बलात्कार किया। उसने

आगे बताया कि उसके प्रतिरोध और चिल्लाहट के बावजूद, अपीलार्थी क्र. 1 ने उसे रिहा नहीं किया। अपीलार्थी क्र. 1 ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि अगर वह उसकी इच्छा के आगे नहीं झुकी तो वह तलवार से उसे मार डालेगा। उसने यह भी कहा कि अपीलार्थी क्र. 1 द्वारा अपराध करने के समय, अपीलार्थी क्र. 2 घटनास्थल से आपत्तिजनक वाहन के साथ अपने घर चला गया जहाँ उसकी माँ ने उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछा, जिससे अपीलार्थी क्र. 2 ने इनकार कर दिया। घटना के बाद, उसकी माँ, ब्रह्मदेव (अ.सा./8) और अन्य व्यक्ति घटनास्थल पर आए। अपीलार्थी क्र. 2 भी आपत्तिजनक वाहन के साथ फिर से वहाँ आया और अपीलार्थी क्र. 1 को घटनास्थल से ले गया। इसके बाद, उसने थाना राजपुर में अपीलार्थीगण के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट प्र-पी/4 के तहत दर्ज कराई। इसके बाद, उसे मेडिकल परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, राजपुर भेजा गया। उसके कपड़े प्र.पी/3 के तहत जब्त कर लिए गए, उसकी टूटी हुई चूड़ियाँ प्र.पी/10 के तहत मौके से जब्त कर ली गईं और पुलिस द्वारा प्र.पी/11 के तहत घटनास्थल का नज़री नक्शा तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियोक्त्री से लंबी प्रति परीक्षण की गई जिसमें उसने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए लगभग सभी सुझावों का खंडन किया और वह अपने बयान पर कायम रहीं। उसने इस बात का विशेष रूप से खंडन किया कि वह स्वयं अपीलार्थीगण के साथ जीप में गई थी और उसने कोई शोर नहीं मचाया। उसने इस बात का भी खंडन किया कि वह स्वयं जीप से उतरी थी और कहा कि अपीलार्थी क्र. 1 ने उसे जीप से घसीटा था। उसने विशेष रूप से स्वीकार किया कि जब उसे जीप में बैठाया गया, तो उसने शोर मचाया और शोर सुनकर ब्रह्मदेव उर्फ लीलू यादव घर से बाहर आ गया। अतः, उसके बयान के गहन मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष कोई ठोस विरोधाभास, चूक या सुधार नहीं ला सका जिससे उसकी गवाही को अविश्वसनीय या कुटिल ठहराया जा सके।

14. अभियोक्त्री की गवाही की पुष्टि ब्रह्मदेव (अ.सा./8) ने भी की है, जिन्होंने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री उसके घर प्रेस लेने आई थी। उस समय वह दोपहर का भोजन कर रहा था। अभियोक्त्री की चीख-पुकार सुनकर जब वह घर से बाहर आया तो उसने देखा कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को जबरन मार्शल जीप में ले जा रहे थे। इसके बाद वह अभियोक्त्री की माँ के पास गया और सारी बात बताई। कुछ देर बाद जीप अपीलार्थी क्र. 2 के घर के पास खड़ी मिली। अभियोक्त्री की माँ वहाँ गई और अपीलार्थी जीप लेकर जंगल की ओर चले गए। अपीलार्थी क्र. 2 ने हॉर्न बजाया और अपीलार्थी क्र. 1 जीप की ओर दौड़ा। इसके बाद अभियोक्त्री रोती हुई जंगल से बाहर आई और गाँव

के कुछ अन्य लोगों की उपस्थिति में उसे और अपनी माँ को घटना सुनाई। इसके बाद, घटना की रिपोर्ट थाना, राजपुर में दर्ज कराई गई। उसने घटनास्थल का नज़री नक्शा (प्र.पी/11), घटनास्थल से टूटी चूड़ियों और पान-पराग के खाली पैकेट की जब्ती (प्र.पी/10) और अभियोक्त्री के कपड़े (प्र.पी/3) को स्वीकार किया। अपनी प्रति परीक्षण में यह गवाह इस तथ्य पर अडिग और अखंडित रहा कि जब वह अभियोक्त्री का शोर सुनकर घर से बाहर आया, तो उसने देखा कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को जबरन मार्शल जीप में ले जा रहे थे। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने यह जानकारी अभियोक्त्री की माँ को दी और अभियोक्त्री को घटनास्थल पर देखा जहाँ वह रो रही थी। उसने इस बात से इनकार किया कि अभियोक्त्री ने घटना का वर्णन उसकी उपस्थिति में नहीं किया था। अतः, इस गवाह का बयान विश्वास पैदा करता है और अभियोक्त्री की गवाही से मेल खाता है, यद्यपि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, जो भौतिक विरोधाभास नहीं हैं।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य में विरुद्ध लेख राज (2000)1 एससीसी 247 में विसंगति के पहलू पर अभिनिर्धारित किया:

"विसंगति को विरोधाभास से अलग किया जाना चाहिए। जबकि गवाह के बयान में विरोधाभास प्रकरण के लिए घातक है, साक्ष्य में साधारण विसंगति या भिन्नता अभियोजन पक्ष के प्रकरण को संदिग्ध नहीं बनाएगी। मानवीय आचरण का सामान्य क्रम यह होगा कि किसी विशेष घटना का वर्णन करते समय साधारण विसंगतियाँ हो सकती हैं, ऐसी विसंगतियाँ विधि में बयानों को विश्वसनीय बना सकती हैं। तोते जैसे बयान न्यायालयों द्वारा नापसंद किए जाते हैं। यह पता लगाने के लिए कि क्या बताई गई विसंगति साधारण थी या नहीं या यह विरोधाभास के बराबर थी, गवाहों की सामाजिक स्थिति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें ऐसा गवाह बयान दे रहा था।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोक्त्री द्वारा अपने बयान के पैरा 20 में दिए गए बयान की ओर इंगित करते हुए अभियोक्त्री की गवाही को संदेह करने की कोशिश की और कहा कि वह कभी ब्रह्मदेव (अ.सा./8) के घर नहीं गई। पैरा 20 का अंश इस प्रकार है - "मैं ब्रह्मदेव के घर कभी नहीं गई, इसलिए उस दिन जब मार्शल जीप उसके घर के सामने आयी, तो मैं उसके घर नहीं घुसी"। जांच करने पर, पैरा 20 का अर्थ यह पाया जाता है कि अभियोक्त्री घटना से पहले कभी ब्रह्मदेव (अ.सा./8) के घर नहीं गया था, इसलिए घटना की तारीख को भी जब मार्शल जीप ब्रह्मदेव के घर के सामने आई, तो वह उसके घर में नहीं गई। अभियोक्त्री का बयान ब्रह्मदेव के बयान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपने बयान के पैरा 27 से 29 में स्पष्ट रूप से कहा है कि घटना के दिन अभियोक्त्री पहली बार उसके घर प्रेस लेने आई थी और घर के बाहर खड़ी थी। अतः, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में कोई दम नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री की गवाही को संदेह करने के उद्देश्य से अभियोक्त्री के बयान के सार की गलत व्याख्या की गई है। किसी भी वाक्य या अनुच्छेद की व्याख्या/अनुवाद उसके पूरे संदर्भ पर आधारित होना चाहिए। अपीलार्थीगण के पक्ष में जाने वाले वाक्य के केवल आधे हिस्से को ही उठाकर उसकी व्याख्या करना और बाकी हिस्से को अछूता छोड़ना उचित नहीं होगा।

17. यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री के साथ जबरन संभोग की बात डॉक्टर श्रीमती किरण भगवाली (अ.सा./4) के साक्ष्य से भी साबित होती है, जिन्होंने दिनांक 4-9-2002 को अभियोक्त्री की जांच की थी। उन्होंने अभियोक्त्री के कूल्हों और कमर पर कई खरोंच के निशान पाए और साथ ही उसकी योनिच्छद (हाइमन) में 6' बजे की स्थिति में एक छोटा सा फटा हुआ निशान भी पाया। उंगली से जांच करने पर, अभियोक्त्री को दर्द और कोमलता महसूस हुई। डॉक्टर ने प्र.पी/4 के माध्यम से अपना अभिलेख दिया और राय दी कि उसके साथ हाल ही में संभोग किया गया था और चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से 12 से 24 घंटों के भीतर आई थीं। अपनी प्रति परीक्षण में, डॉक्टर श्रीमती किरण भगवाली ने इस बात से इनकार किया कि अभियोक्त्री की योनिच्छद (हाइमन) पहले से फटी हुई थी और वह संभोग करने की आदी थी। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी क्र.1 की जांच डॉक्टर बी.एस. संगर (अ.सा./2) ने प्र.पी/2 के माध्यम से की, जिन्होंने उसे बलशाली पाया। अतः, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी क्र. 1 द्वारा अभियोक्त्री के साथ जबरन संभोग नहीं किया गया था। अभियोक्त्री के कपड़ों को डॉक्टर श्रीमती किरण भजगावली (अ.सा./4) द्वारा रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजने की सलाह दी गई थी, लेकिन न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियोक्त्री के सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य के अनुसार, जिसकी पुष्टि ब्रह्मदेव (अ.सा./8) द्वारा की गई है, इसे किसी भी चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा और पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के शरीर पर चोटें पाई गईं, जो केवल इस तथ्य को दर्शाती हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया था।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री नारायण साहा और अन्य विरुद्ध त्रिपुरा राज्य के प्रकरण में (2004) 7 एससीसी 775 में पुष्टिकरण के पहलू पर अभिनिर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"यौन अपराध की अभियोक्त्री को साथी अपराधी के समक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है और उसके साक्ष्य को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना एक घायल गवाह को दिया जाता है। इसे पुष्टिकरण के बिना भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि न्यायालय, यह ध्यान में रखते हुए कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रहा है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है, संतुष्ट है कि वह उसके साक्ष्य पर कार्यवाही कर सकता है"।

19. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध दयाल साहू, 2005 एआईआर एससीडब्ल्यू 4839 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया:

"एक बार जब अभियोक्त्री का बयान विश्वास पैदा करता है और न्यायालयों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि दी जा सकती है और किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि ऐसे कोई ठोस कारण न हों जो न्यायालयों को उसके बयान की पुष्टि के लिए बाध्य करें। न्यायिक निर्भरता के लिए अभियोक्त्री की गवाही की पुष्टि विधि की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के तहत विवेक का मार्गदर्शन है।"

20. जहाँ तक प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थी क्र. 2 की संलिप्तता का प्रश्न है, अभियोक्त्री (अ.सा./5) और ब्रह्मदेव (अ.सा./8) के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह अपीलार्थी क्र. 1 के साथ शुरू से अंत तक मौजूद था। यह स्पष्ट है कि वाहन अपीलार्थी क्र. 2 द्वारा चलाया जा रहा था, जिसमें अपीलार्थी क्र. 1 अभियोक्त्री को बैठाकर जंगल में ले गया, जहाँ अपीलार्थी क्र. 1 ने अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। यह भी स्पष्ट है कि अपराध के दौरान अपीलार्थी क्र. 1 जीप को अपने घर ले आया था, जहाँ उसने अभियोक्त्री की माँ से मुलाकात की और उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके पश्चात्, वह फिर से वाहन के साथ घटनास्थल पर गया और अपराध के बाद अपीलार्थी क्र. 1 को ले गया। अतः, अपीलार्थी क्र. 2 का आचरण यह दर्शाता है कि अपराध में भाग लेने का उसका समान इरादा था और उसने उस समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए केवल अपीलार्थी क्र. 1 को अभियोक्त्री के साथ विचाराधीन अपराध करने में सहायता करने के लिए कार्य किया।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अशोक कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य (2003) 2 एससीसी 143 में समान इरादे के पहलू पर अभिनिर्धारित किया:

धारा 376(2)(जी) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, स्पष्टीकरण 1 के साथ पठित, अपराध सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष को यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कि एक से अधिक अभियुक्तगण ने मिलकर कार्य किया है और ऐसी स्थिति में, यदि बलात्कार किसी एक द्वारा भी किया गया है, तो सभी अभियुक्त दोषी होंगे, भले ही उसके साथ उनमें से एक या अधिक द्वारा बलात्कार किया गया हो और अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक अभियुक्त द्वारा बलात्कार के पूर्ण कृत्य का साक्ष्य प्रस्तुत करे। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित करता है और उस दायित्व का सार समान आशय का अस्तित्व है; यह समान आशय पूर्व सहमति को पूर्वधारणा करता है जिसका निर्धारण अपराधियों के आचरण से किया जा सकता है जो कार्यवाही के दौरान प्रकट होता है और यह अचानक उत्पन्न और निर्मित हो सकता है, लेकिन इसमें विचारों का मिलन होना आवश्यक है। प्रत्येक अपराधी का स्वतंत्र रूप से एक ही इरादा होना पर्याप्त नहीं है। ऐसे प्रकरणों में, अपराध के घटित होने में एक निश्चित सीमा तक आपराधिक साझेदारी अवश्य होनी चाहिए।

22. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिया पटेल विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य (2006) 6 एससीसी 263 पर अभिनिर्धारित किया:

"मान्य प्रावधान के अनुसार, एक व्यक्ति जिसने वास्तव में बलात्कार नहीं किया है, उसने बलात्कार किया माना जाता है, भले ही समूह में से केवल एक ने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए बलात्कार किया हो। "सामान्य इरादे" का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में किया गया है और यह प्रावधान करता है कि जब कोई आपराधिक कार्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कार्य उसके द्वारा अकेले किया गया हो। "सामान्य इरादा" एक साथ की गई कार्यवाही को दर्शाता है और अनिवार्य रूप से एक पूर्व-व्यवस्थित योजना, विचारों की पूर्व बैठक और कार्यवाही में भागीदारी के तत्व को दर्शाता है। कार्य अलग-अलग हो सकते हैं और उनके चरित्र में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उन्हें एक ही सामान्य इरादे से प्रेरित होना चाहिए, जो एक ही इरादे या समान इरादे से अलग हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करने के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि यह कार्य किसी आपराधिक कृत्य को करने के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। धारा 376(2) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित अभिव्यक्ति "उनके सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" बलात्कार करने के इरादे से संबंधित है।

23. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्याय विधि वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होती क्योंकि तथ्य अलग-अलग हैं और यह अपीलार्थी को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त करने का प्रकरण था और अभियोक्त्री ने समय-समय पर न्यायालय के समक्ष अपना बयान बदला था,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेकिन वर्तमान प्रकरण में अभियोक्त्री अपने बयान पर कायम रही, जिसकी ब्रह्मदेव (अ.सा.-8) द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है, यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं है।

24. अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार करते हुए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता, त्रुटि या अनियमितता नहीं है जिसके लिए अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वर्णित अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराते और सजा सुनाते समय गवाहों के बयान, विशेष रूप से अभियोक्त्री के बयान, जिसकी ब्रह्मदेव (अ.सा./8) द्वारा विधिवत पुष्टि की गई है, पर भरोसा करना उचित ही है।

25. तदनुसार, अपील में कोई दम नहीं होने के कारण इसे निरस्त किया जाना चाहिए और तदनुसार निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर.एन.चंद्राकर,

न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ……K.RADHIKA………..

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur